

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1213]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2017 वैशाख 11, 1939
No. 1213]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2017/VAISAKHA 11, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2017

का.आ. 1373(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूपी स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
394	365बीबी	तेलंगाना राज्य में सूर्यापेट के निकट रारा सं65 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मोथे, खम्मम, व्यारा, थल्लाडा, मिट्टापल्ली, कल्लुरु, सत्तूपल्ली, अश्वराओपेट को जोड़ते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में जीलूगुमिल्ली, भुट्टईगुडेम, कन्नापुरम, पट्टीसीमा, तल्लापुडी को जोड़ने वाला और कोव्वुरु के निकट रारा-16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
395	544डीडी	आंध्र प्रदेश राज्य में अनंतपुर के निकट रारा सं44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रायदुर्ग को जोड़ते हुए और कर्नाटक राज्य में मोल्कालमुरु के निकट रारा- 150ए के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

2874 GI/2017 (1)

396	544ई	आंध्र प्रदेश राज्य में कोडीकोंडा चेकपोस्ट के निकट रारा सं44 के साथ अपने
		जंक्शन से प्रारंभ होकर लेपाक्षी, हिंदुपुर, मादाकसिरा, रोल्ला, अगाली को जोड़ते
		हुए और कर्नाटक राज्य में सीरा पर रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने
		वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/20/2016-पी एंड एम (पार्ट-2)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 1126(अ), दिनांकित 7 मार्च, 2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2017

S.O. 1373(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Sl. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
394	365BB	The highway starting from its junction with NH No. 65 near Suryapet connecting Mothey, Khammam, Wyra, Thallada, Mittapalli, Kalluru, Sattupalli, Ashwaraopet in the State of Telangana, connecting Jeelugumilli, Buttaigudem, Kannapuram, Pattiseema, Tallapudi, and terminating at the junction of NH-16 near Kovvur in the state of Andhra Pradesh.
395	544DD	The highway starting from its junction with NH No. 44 nearAnanatpur connecting, Rayadurg in the State of Andhra Pradesh and terminating at its junction with NH-150A nearMolkalmuru in the state of Karnataka.
396	544E	The highway starting from its junction with NH No. 44 near Kodikonda checkpost connecting Lepakshi, Hindupur, Madakasira, Rolla, Agali in the State of Andhra Pradesh and terminating at its junction with NH-48 near Sira in the state of Karnataka

[F. No. NH-14012/20/2016-P&M (pt-2)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote: The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1126(E), dated 7th April, 2017